**प्रेस नोट** **दिनांक 07.08.2026**

**पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं गार्दो के रजिस्टर का निरीक्षण कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश-**

दिनांक 07.08.2026 को पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित विभिन्न शाखा कार्यालयों एवं गार्दो के रजिस्टर का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों एवं गार्दो में संधारित विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई।

महोदय द्वारा कार्यालयों की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव, स्वच्छता एवं अनुशासन का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी रजिस्टरों को नियमित रूप से अद्यतन रखा जाए तथा प्रत्येक अभिलेख का सही एवं समयबद्ध संधारण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियमित निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना तथा पुलिस लाइन की व्यवस्थाओं को उच्च स्तर पर बनाए रखना है।

**हत्या का सफल अनावरण**

**थाना हलधरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गहनी के निवासी (मृतक बलवन्त सिंह) की में हत्या में सलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार,निशानदेही से मृतक का एंड्रॉयड मोबाइल बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में दिनांक 07.08.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मु0अ0सं0 160/2026, धारा 103(1) बी.एन.एस. से संबंधित कत्ल की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से मृतक का चोरी गया एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार सिंह निवासी ग्राम गहनी, थाना हलधरपुर द्वारा सूचना दी गई कि उनका लड़का बलवंत सिंह (उम्र 28 वर्ष) दिनांक 03.08.2026 को ट्यूबवेल से पानी भरने गया था, जो घर वापस नहीं लौटा। दिनांक 04.08.2026 की सुबह खेत की

मेंढ़ के पास उसका शव मिला, जिसके सिर पर चोट के गंभीर निशान थे। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हलधरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना, सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए ग्राम गहनी के रमेश सिंह के ट्यूबेल के पास से अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ सिट्टू को तथा सेमराजपुर चट्टी के पास से देवेंद्र यादव को हिरासत में लिया गया।

## पूछताछ विवरण –

कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि:

1. मृतक बलवंत सिंह का अभियुक्त विवेक सिंह की परिचित महिला तथा अभियुक्त देवेंद्र यादव की पत्नी के साथ संपर्क/निकटता को लेकर विवाद चल रहा था।
2. इसी रंजिश के चलते दिनांक 03.08.2026 को दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से बलवंत को शराब पिलाई तथा ट्यूबवेल के पास ले जाकर डंडे से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।
3. हत्या के पश्चात अभियुक्त विवेक सिंह मृतक का मोबाइल जेब से निकालकर ले गया और रमेश सिंह के ट्यूबवेल के पास छुपा दिया, जिसे पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद कर सील कर दिया।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण**</u>

1. **विवेक सिंह उर्फ सिट्टू सिंह** (उम्र लगभग 28 वर्ष) पुत्र अजय सिंह उर्फ टप्पू, निवासी ग्राम गहनी, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ।
2. **देवेंद्र यादव** (उम्र लगभग 43 वर्ष) पुत्र स्व. रामबहादुर यादव, निवासी ग्राम गहनी, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ।

<u>**बरामदगी**</u>

- **01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल (विवो कंपनी)** – मृतक बलवंत सिंह का (IMEI अंकित एवं तस्दीकशुदा)।

## गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-

1. अभियुक्त विवेक सिंह उर्फ सिट्टू सिंह को स्थान रमेश सिंह ट्यूबेल के पास ग्राम गहनी से
2. अभियुक्त देवेंद्र यादव को सेमराजपुर चट्टी के पास से

दिनांक 07.08.2026 समय करीब 7:35 बजे

02 शातिर चोर गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद बैटरी, 02 अदद इनवर्टर व 8KG 500G स्क्रैप कापर बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.08.2026 को देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर मलेरी कोट नहर के पास से मु0अ0सं0-340/26 धारा 331 (4) 305 बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्तगण 1. पंकज राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम दरियाबाद थाना घोसी जनपद मऊ 2. विशाल चौहान पुत्र देवेन्द्र चौहान निवासी ग्राम मानिकपुर मलेरीकोट थाना-घोसी जनपद मऊ  के कब्जे से 01 अदद बैटरी, 02 अदद इनवर्टर व 8KG 500G स्क्रैप कापर बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**अभियुक्त का नाम पता –**

**1-** विशाल चौहान पुत्र देवेन्द्र चौहान निवासी ग्राम मानिकपुर मलेरीकोट थाना-घोसी जनपद मऊ

2- पंकज राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम दरियाबाद थाना घोसी जनपद मऊ

**पंजीकृत अभियोंग-**

**1-** मु0अ0सं0-340/26 धारा 331 (4), 305,317 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

**आपराधिक इतिहास-**

पंकज राजभर पुत्र रामदुलारे राजभर निवासी ग्राम दरियाबाद थाना घोसी जनपद मऊ

1- मु0अ0सं0-340/26 धारा 331 (4),305,317 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ

2- मु०असं0-50/2022 थारा 323/427/504/506 भा०द० वि० थाना घोसी मऊ

3- मु0अ0स0-167/2026 धारा 115 (2), 351(2),352,3 (5) बीएनएस थाना घोसी मऊ

अपहरण/पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मु0बाद श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 07.08.2026 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान गोकुलपुरा अंडरपास पर मौजूद थे। इस दौरान सर्विलांस सेल मऊ द्वारा अभियुक्त के मोबाइल नंबर की प्राप्त लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम तत्काल गोकुलपुरा गाँव से थोड़ा आगे पुलिया के पास से मु0अ0स0 मु0अ0सं0 091/2026 धारा 64,137(2),87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अभिषेक सोनकर पुत्र काजू सोनकर (उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी लालगंज कटघर, सोनकर रोड, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़; वर्तमान पता: शाही कटरा भरहुपुरा, थाना कोतवाली, को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ मे अभियुक्त ने कबूल किया कि उसने रानीपुर गाँव की निवासी नाबालिग बालिका (नाम पता गोपनीय) को बहला-फुसलाकर उससे शादी की और उसे अपने साथ गोवा ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध (दुष्कर्म) बनाया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण***

1- अभिषेक सोनकर पुत्र काजू सोनकर (उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी लालगंज कटघर, सोनकर रोड, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़; वर्तमान पता: शाही कटरा भरहुपुरा, थाना कोतवाली, जनपद मऊ

**पंजीकृत अभियोंग-**

1- मु0अ0सं0 0091/2026 धारा 64,137(2),87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

**गिरफ्तारी का स्थान –**

1- गोकुलपुरा अंडरपास थाना रानीपुर जनपद मऊ दिनांक 07.08.2026 समय करीब 11.39 बजे

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 07.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 31 टीम गठित कर जनपद के 36 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1350 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 449 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 04 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ

अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति  जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

**थाना कोपागंज जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 9000/- वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.08.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित/आवेदक अभिजीत निवासी फतेहपुर ताल नरजा थाना कोपागंज जनपद मऊ (कीमती लगभग- 9000/- रुपये) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।